मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक सी. 3-7/2000/3/एक भोपाल, दिनांक 01-05-2000

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त, समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर्स,
मध्यप्रदेश ।

विषय:- शासकीय सेवकों की असामयिक मृत्यु होने पर उनके परिवार के आश्रित सदस्य को नौकरी में प्राथमिकता ।

संदर्भ:- 1. वित्त विभाग का परिपत्र क्र. एफ-17/1/2000/ब-7/चार, दिनांक 14.01.2000,
2. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्र. सी-3-4/94/3/एक, दिनांक 10.06.1994,
3. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्र. सी. 3-4/94/3/एक, दिनांक 03.01.1995.

::=::

राज्य शासन ने प्रदेश में व्याप्त वित्तीय संकट से निपटने के लिये अनुकंपा नियुक्ति सहित, सभी प्रकार की नियुक्तियों पर दिनांक 01.01.2000 से 31.12.2000 तक के लिये संदर्भित परिपत्र दिनांक 14.01.2000 द्वारा प्रतिबंध लगाया है ।

2- विभिन्न कर्मचारी संघों से इस विषय में प्राप्त निवेदनों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि अनुकंपा नियुक्ति के मामलों में उक्त प्रतिबंध को शिथिल किया जावे । अतः अनुकंपा नियुक्ति संबंधी संदर्भित परिपत्र दिनांक 10.06.94 एवं 03.01.95 तथा अन्य समस्त पूर्व निर्देशों को निरस्त करते हुए राज्य शासन द्वारा नए निर्देश निम्नानुसार जारी किये जाते हैं :-

निरंतर...2 पर

अनुकंपा नियुक्ति निम्न स्थिति में दी जावेगी :-

1. यदि किसी शासकीय सेवक की सेवाकाल में मृत्यु हो गई हो, तथा
2. मृतक शासकीय सेवक के परिवार के, एक भी सदस्य के पास आजीविका का साधन न हो और विषम आर्थिक विपन्नता की स्थिति हो । मृतक शासकीय सेवक के परिवार से तात्पर्य है उसकी विधवा, पुत्र एवं अविवाहित पुत्री जो पूर्णतः उस पर आश्रित है ।

अनुकंपा नियुक्ति परिवार के निम्नलिखित सदस्यों में किसी एक सदस्य को दी जा सकेगी :-

1. दिवंगत शासकीय सेवक की विधवा, अथवा
2. दिवंगत शासकीय सेवक का पुत्र, अथवा
3. दिवंगत शासकीय सेवक की अविवाहित पुत्री अथवा ऐसी विधवा पुत्री जो मृतक शासकीय सेवक के साथ रहती रही हो, तथा उस पर पूर्णतः आश्रित हो ।

पात्रता की अन्य शर्तें :-

दिवंगत शासकीय सेवक के परिवार का सदस्य अनुकंपा नियुक्ति हेतु तभी पात्र होगा, जबकि वह निम्नलिखित शर्तें पूरी करता हो :-

1. आवेदक/आवेदिका शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए आवश्यक अर्हता धारण करता हो,
2. मृतक शासकीय सेवक के परिवार के सदस्यों की कुल आय परिवार के भरण पोषण के लिये अपर्याप्त हो । "अपर्याप्त" आय से यहां तात्पर्य पारिवारिक पेंशन से भिन्न, सभी स्त्रोतों से कुल आय रुपये 35,000 प्रतिवर्ष या उससे कम से है ।

निरंतर..पेज 3 पर

अनुकंपा नियुक्ति के लिये अपात्रता :-

1. यदि दिवंगत शासकीय सेवक के परिवार का कोई भी सदस्य पूर्व से शासकीय सेवा अथवा निगम, मण्डल, परिषद, आयोग आदि में नियोजित हो, तो उसके परिवार के किसी अन्य सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जावेगी ।

2. दिवंगत शासकीय सेवक के परिवार का कोई सदस्य यदि आयकर दाता हो तो उसके परिवार के किसी सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जावेगी ।

3. यदि दिवंगत शासकीय सेवक के परिवार अथवा किसी सदस्य के पास 5 एकड़ सिंचित अथवा 10 एकड़ असिंचित भूमि हो तो उसके किसी आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी ।

4. यदि किसी शासकीय सेवक की मृत्यु अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने के बाद सेवावृद्धि/पुनर्नियुक्ति/संविदा नियुक्ति के दौरान होती है तो उसके आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जावेगी ।

5. सार्वजनिक उपक्रमों के मृत कर्मियों के परिवार के सदस्यों को शासकीय सेवा में अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जावेगी ।

6. केन्द्र शासन या किसी अन्य राज्य सरकार द्वारा अथवा उसे स्वत्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी सार्वजनिक उपक्रम अथवा निगम/मण्डल/आयोग द्वारा पदच्युत व्यक्ति नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे ।

7. यदि दिवंगत शासकीय सेवक, प्रशिक्षु, तदर्थ अथवा संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया था, तो उसके परिवार के आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी ।

8. दिनांक 01.01.2000 के पूर्व अस्वीकृत अथवा निराकृत प्रकरणों पर विचार नहीं किया जायेगा ।

निरंतर...पेज 4 पर

9. मृतक शासकीय कर्मचारी के परिवार के सदस्य (विधवा पत्नी/पुत्र/अविवाहित विधवा पुत्री) को छोड़कर अन्य किसी रिश्तेदार को अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी।

कार्यालय प्रमुख/नियुक्ति प्राधिकारी इस बात को सुनिश्चित करने के लिये व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे कि दिवंगत शासकीय सेवक के परिवार को वास्तव में तात्कालिक सहायता के रूप में अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता है।

पद जिन पर अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकेगी :-

अनुकंपा नियुक्ति आवेदक/आवेदिका द्वारा धारित योग्यता के आधार पर सीधी भरती के निम्नतम पद सहायक ग्रेड-3 (निम्न श्रेणी लिपिक), शिक्षा कर्मी या भृत्य के पद पर ही दी जा सकेगी।

अनुकंपा नियुक्ति के लिये आवश्यक अर्हतायें तथा शिथिलीकरण :-

1. अनुकंपा नियुक्ति उसी व्यक्ति को दी जायेगी जो भरती नियमों के अनुसार पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हतायें रखता हो।

2. आवेदक का मध्यप्रदेश स्थित विद्यालय से हायर सेकेण्डरी अथवा महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है। यदि किसी पद के लिये हायर सेकेण्डरी से नीचे की योग्यता निर्धारित हो तो आवेदक को उसकी परीक्षा भी मध्यप्रदेश के विद्यालय से उत्तीर्ण होना आवश्यक है। मृतक शासकीय सेवक की विधवा के लिए यह शर्त लागू नहीं होगी। अनुकंपा नियुक्ति किसी शासकीय सेवक का अधिकार नहीं है। उक्त सुविधा, भरती के लिये पद उपलब्ध होने पर ही दी जा सकेगी।

निरंतर...पेज 5 पर

(ख) शिथिलीकरण :-

1. वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एल 17-7/94/ब-7/चार, दिनांक 30.9.94 द्वारा रिक्त पदों को पुनर्नियोजन द्वारा केवल अतिशेष कर्मियों से भरने संबंधी निर्देश अनुकंपा नियुक्ति के मामलों में लागू नहीं होंगे । साथ ही, भरती नियमों में प्रावधानित चयन प्रक्रिया तथा रोजगार कार्यालय में पंजीयन संबंधी शर्त से छूट रहेगी ।

2. अधिकतम आयु सीमा संबंधी शर्त केवल विधवा के मामले में शिथिल रहेगी ।

3. मृत्य के पद पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक अर्हता विभागाध्यक्ष द्वारा शिथिल की जा सकेगी ।

4. दिवंगत शासकीय सेवक की विधवा को सहायक ग्रेड-3 के पद पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए तीन वर्ष का समय दिया जावेगा ।

वयस्क सदस्यों की व्यवस्था :-

यदि मृत शासकीय सेवक के परिवार में कोई वयस्क सदस्य न हो तो उसकी मृत्यु के दिनांक से 3 वर्ष तक वयस्क होने वाले सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकेगी । अन्य मामलों में दिवंगत शासकीय सेवक की मृत्यु दिनांक के 3 माह से अधिक अवधि पश्चात् प्रस्तुत आवेदन अनुकंपा नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होगा । यदि मृत्यु दिनांक से 3 वर्ष तक रिक्त पद उपलब्ध नहीं हुआ तो अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता समाप्त हो जायेगी ।

अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया :-

अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन-पत्र संलग्न परिशिष्ट-एक में दर्शाए प्रपत्र में उस कार्यालय प्रमुख/विभाग प्रमुख, जिसमें दिवंगत शासकीय सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व कार्यरत था, को प्रस्तुत किया जावेगा ।

...पेज 6 पर

2. अनुकंपा नियुक्ति के लिए वही अधिकारी सक्षम होगा जो सामान्य परिस्थिति में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी, जैसा भी प्रकरण हो, के पदों पर नियुक्ति के लिए सक्षम हो । परंतु ऐसी नियुक्ति के पूर्व उसे विभागाध्यक्ष को अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

3. अनुकंपा नियुक्ति यथासंभव उसी विभाग या कार्यालय में दी जावेगी, जिसमें दिवंगत शासकीय सेवक अपने निधन के पूर्व नियोजित था ।

4. यदि उस कार्यालय में, जिसमें कि दिवंगत शासकीय सेवक मृत्यु के पूर्व नियोजित था, अनुकंपा नियुक्ति हेतु कोई रिक्त पद उपलब्ध न हो तो अनुकंपा नियुक्ति हेतु आवेदन-पत्र विभागाध्यक्ष को भेजा जायेगा । विभागाध्यक्ष पहले अपने अधीनस्थ किसी भी कार्यालय में रिक्त पद पर नियुक्ति देने का प्रयास करेगा । यदि पद रिक्त न होने के कारण नियुक्ति देना संभव न हो तो विभागाध्यक्ष द्वारा तद्विषयक प्रमाण-पत्र देकर आवेदन-पत्र संबंधित जिला कलेक्टर को अग्रेषित किया जावेगा ।

5. जिला कलेक्टर, इस प्रकार प्राप्त प्रकरणों को संकलित करेंगे, और उनके जिले में अन्य विभागों एवं जनपद पंचायत के कार्यालय में रिक्त पद पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए अग्रेषित करेंगे । यदि उनके जिले में किसी कार्यालयों में भी कोई रिक्त पद उपलब्ध न हो तो जिला कलेक्टर ऐसे प्रकरणों को संभागीय आयुक्त को आगामी कार्यवाही हेतु अग्रेषित करेंगे ।

6. संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर से प्राप्त अनुकंपा नियुक्ति के आवेदन-पत्रों को संभाग के किसी भी जिले में स्थित कार्यालय में उपलब्ध रिक्त पद पर अनुकंपा नियुक्ति के निर्देश के साथ उस कार्यालय को भेजेंगे ।

निरंतर.....पेज 7 पर

वचन पत्र

दिवंगत शासकीय सेवक के आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति देने की स्थिति में आवेदक/ आवेदिका से नियुक्ति के पूर्व इस आशय का एक वचन-पत्र लिया जायेगा कि वह दिवंगत शासकीय सेवक के परिवार के अन्य सदस्यों का समुचित भरण पोषण करेगा तथा बाद में किसी भी समय यदि यह प्रमाणित हो जाए कि उसके व्दारा परिवार के सदस्यों को अनदेखा किया जा रहा है अथवा उनका सही ढंग से भरण पोषण नहीं किया जा रहा है तो उसकी नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी ।

अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु :-

1. आवेदक को एक बार अनुकंपा नियुक्ति दिये जाने पर किसी अन्य पद पर नियुक्ति का निवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा ।

2. अनुकंपा नियुक्ति के आधार पर की गयी नियुक्ति, किसी दूसरे व्यक्ति को अंतरित नहीं की जा सकेगी ।

3. नियुक्ति के पूर्व चरित्र सत्यापन एवं चिकित्सकीय परीक्षण नियमानुसार कराया जावेगा ।

4. शासकीय अमले में आगामी 5 वर्षों में 30 प्रतिशत कमी करने की योजना के अंतर्गत जो पद समाप्त किए जा रहे हैं वे अनुकंपा नियुक्ति के लिये उपलब्ध नहीं होंगे और केवल स्पष्ट रूप से रिक्त नियमित पद पर ही अनुकंपा नियुक्ति दी जायेगी । साथ ही, आरक्षित रिक्त पद पर अनारक्षित वर्ग के व्यक्ति को अनुकम्पा नियुक्ति नहीं दी जायेगी ।

ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे । वर्तमान में विचाराधीन प्रकरणों का निराकरण भी इन्हीं निर्देशों के तहत् किया जावेगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(किरण विजय सिंह)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

निरंतर....पेज 8 पर